FORM NO. III

2024/542

फर्द अहकाम

(नियम 20)

अज अदालत –उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, नावां जिला डीडवाना–कुचामन राजस्थान

कमल कुमार बिजारणियां
सा. मिण्डा तहसील नावां — बनाम — ईश्वरलाल पुत्र लादूराम
निवासी–मिण्डा, तहसील नावां

किस्म मुकदमां : 212 आरटीए — मुकदमा नम्बर 259 /2024

.तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुआ
02.09.2024	प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री कन्हैयालाल शर्मा ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट के तहत पेश किया है। प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाता है। वकील प्रार्थी पक्ष को अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र पर सुना गया। पत्रावली एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। जिससे प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के हक में प्रतीत होता है। अतः अप्रार्थीगण को जवाब प्रस्तुत करने तक अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि ग्राम मीण्डा पटवार हल्का मीण्डा तहसील नावां के खसरा नं. 524, 525, 526, ग्राम देदिया का बास पटवार हल्का मीण्डा के खसरा नं. 463, 464, 468, 473, 474, 475, 505, 506 की भूमि में से प्रार्थीगण के हक हिस्से की भूमि में अप्रार्थी संख्या 1 ता 16 किसी प्रकार दखलन्दाजी न तो स्वयं करे ना ही अपने ऐजेन्टो से करावे, ना ही कच्चा पक्का निर्माण करे। किसी क्रेता/व्यक्ति को भूमि का बैचान, बख्शीस, हस्तान्तरण नहीं करे एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखे तथा किसी प्रकार की सींव माठ को खुर्द–बुर्द करे। अप्रार्थी संख्या 17 उक्त भूमि से संबंधित बैचान दस्तावेज स्वीकार नहीं करे तथा अप्रार्थी संख्या 18 व 19 राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे। **यह अस्थाई निषेधाज्ञा रास्ते/प्रचलित रास्ते के प्रावधान में लागू नहीं होगी।** इस आशय की अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी हो। इस बाबत अप्रार्थीगण को आपत्ति हो तो नियत तिथि को असालतन/वकालतन इस न्यायालय में उपस्थित होकर वजह जाहिर करें। अप्रार्थीगण को नोटिस जारी होकर पत्रावली दिनांक 14.10.2024 को वास्ते तलबी पेश हो। (हस्ताक्षर) (विश्वामित्र मीना) उपखण्ड अधिकारी, नावां	
14/10/24	पत्रावली पेश हुई बार एसोशियेशन ने कन्डोलेन्स कर कार्य स्थगन का निवेदन किया। पत्रावली इल्तवा होकर दिनाँक 18/10/24 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
18/10/24	पत्रावली पेश हुई पत्रावली का अवलोकन किया प्रकरण हाजा से संबंधित मूल वाद राजस्व वाद नं. 282/2024 अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज किया जा चुका है। मूल वाद के खारिज हो जाने से प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं रहा है। अतः प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं रहने से इसी स्टेज पर खारिज किया जाता है। प्रकरण नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी नावां (डीडवाना-कुचामन)	